बिहार विधान सभा

अष्टादश बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

कार्य सूची

25 फरवरी 2026

11:00:00

----

1. **प्रश्नोत्तर**

(1) अल्पसूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर।

2. **ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उसपर सरकारी वक्तव्य**

(1) सर्वश्री विनय कुमार चौधरी, उपेन्द्र प्रसाद एवं अन्य छः सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार [पथ निर्माण विभाग] की ओर से वक्तव्य।

(2) श्रीमती छोटी कुमारी, स०वि०स० से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार [नगर विकास एवं आवास विभाग] की ओर से वक्तव्य।

3. **सभा मेज पर कागजात का रखा जाना**

(1) नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के तहत् पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का वित्तीय वर्ष 2023-24 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति का सभा मेज पर रखा जाना।

(2) नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा-84 के तहत् बिहार शहरी आयोजना स्कीम नियमावली, 2025 की प्रति का सभा मेज पर रखा जाना।

(3) ऊर्जा विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-182 के तहत् बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित विनियमनों के संकलन की भाग-1 एवं 2 की एक-एक प्रति का सभा मेज पर रखा जाना।

(4) मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा आनन्द विवाह (संशोधन) अधिनियम, 2012 की धारा-6 (4) के तहत् बिहार आनन्द कारज विवाह निबंधन नियमावली, 2025 की प्रति का सभा मेज पर रखा जाना।

(5) मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा-91 (2) के तहत् बिहार रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली, 2023 एवं बिहार दस्तावेज लेखक अनुज्ञप्ति (संशोधन) नियमावली, 2025 की एक-एक प्रति का सभा मेज पर रखा जाना।

(6) मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारत स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा-76 (3) के तहत् बिहार ई-स्टाम्प शुल्क (एजेन्सी द्वारा क्रियान्वयन) नियमावली, 2020 की प्रति का सभा मेज पर रखा जाना।

(7) वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के परिणाम बजट, बाल कल्याण बजट, जेन्डर बजट एवं हरित बजट पुस्तिकाओं तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 के उपलब्धि प्रतिवेदन पुस्तिका की एक-एक प्रति का सभा मेज पर रखा जाना।

4. बिहार विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का (यदि हो) सभा के समक्ष रखा जाना।

5. याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो)।

<u>मध्याह्न-विराम (01.00 बजे अपराह्न से 2.00 बजे अपराह्न)</u>

6. **गैर सरकारी संकल्प**

(1) सार्वजनिक हित के विषयों पर संकल्प।

[संकल्प की सूची अलग से वितरित की जा चुकी है।]

7. अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।

ख्याति सिंह
प्रभारी सचिव
बिहार विधान सभा

पटना-800015
दिनांकः24 फरवरी 2026